(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02 / 2013

बउनवान

गोपाल आयु 57 वर्ष पुत्र नेनकीलाल जाति बैरवा निवासी कराडिया गुल्जी तहसील अटरू

(प्रार्थी)

बनाम

1– रामकरण आयु 52 वर्ष पुत्र कंवरलाल बैरवा निवासी कराडिया गुल्जी तहसील अटरू
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थितिः 1. श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 08.08.2019

प्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वाके ग्राम कराडिया गुल्जी तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा किस्म बंजड दिनांक 25.5.76 को अप्रार्थी क्रम 1 रामकरण को आवंटन की गयी है। जिसकी अप्रसन्नता से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 11.07.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। जो इस न्यायालय मे उप जिला कलक्टर अटरू के पत्रांक 5013 दिनांक 26.12.2016 के संलग्न प्राप्त हुआ। अप्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वाके ग्राम कराडिया गुल्जी तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा किस्म बंजड दिनांक 25.5.76 को अप्रार्थी क्रम 1 रामकरण को आवंटन की गयी है।

उक्त आवंटन आदेश, आवंटन प्रक्रिया के विरूद्व एवं आवंटन की उद्घोषणा किये बगैर किया गया है। जो काबिल खारिज है। अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन शुदा आराजी पर कोई दखल व कब्जा नही दिया गया है ना ही आवंटन के बाद से आज दिन तक एलोटी अप्रार्थी क्रम 1 का उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर निरन्तर बिना रोक टोक के सन् 1985 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी उक्त आराजी पर प्रतिवर्ष फसल बोता एवं काटता चला

आ रहा है। सन् 1985 से पूर्व उक्त आराजी पर प्रभू पुत्र धूल्या चमान का कब्जा था तथा प्रार्थी ने उक्त प्रभू पुत्र धूल्या से उक्त आराजी उसकी आराजी से लगवा होने से खरीद की थी। इस प्रकार वक्त आवंटन उक्त आराजी खाली भूमि नही थी। इस कारण भी उक्त आवंटन काबिल खारजा है।

यह कि आवंटन नियमों अनुसार आवंटन आदेश के एक वर्ष के अन्दर–अन्दर एलोटी को आवंटित आराजी पर दखल एवं कब्जा प्राप्त करना आवश्यक होता है। एलोटी ने आज तक उक्त आराजी पर कब्जा व दखल प्राप्त नही किया है। इस कारण उक्त आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है। यह कि एलोटी/अप्रार्थी क्रम 1 ने पटवारी हल्का से मिली भगत करके उक्त आवंटन अपने पक्ष मे करवाया गया है। जो काबिल खारजा है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 रामकरण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वाके ग्राम कराडिया गुल्जी तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा किस्म बंजड का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 25.5.76 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि रेस्पोडेन्ट रामकरण को दिनांक 25.05.1976 में हुए आवंटन आदेश को 37 वर्षो उपरान्त आवंटन निरस्त करवाने बाबत अपीलांट गोपाल द्वारा पेश की गयी कार्यवाही अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 निम्न आधारो पर निरस्तनीय है।

1. आवंटित आराजी पर आवंटी को खातेदारी मिलने के बाद कार्यवाही 14(4) भू आवंटन अधि विधित सधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। रूलिंग RBJ–2016 पेज न. 102 राज. सरकार बनाम जशोदा जिसकी छायाप्रति पक्ष सर्मथन मे प्रस्तुत है।
2. आवंटित आराजी पर आवंटी को दखल दिये जाने के बाद कोई भी अतिक्रमी विधिवत हुए आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकार नहीं रखता। रूलिंग RBJ- 2016 पेज न. 608 नरेन्द्र सिंह बनाम सरकार जिसकी छायाप्रति पक्ष सर्मथन मे प्रस्तुत है।
3. आवंटित आराजी पर अपीलांट द्वारा किये गये अतिक्रमण से बेदखल करवाने बाबत रेस्पोडेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी अटरू में धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट का दावा विरूद्ध अपीलांट पेश किया गया, जो वाद संख्या 31/2011 से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 05.12.2013 को निर्णित हुआ। डिग्री की पालना हो चुकी। (छायाप्रति संलग्न)
4. अपीलांट में भी अतिक्रमी कब्जे के आधार पर राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के यहा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, जो वाद सं. 59/2011 से निर्णय दिनांक 05.12.2013 से निरस्त हुआ।
5. अपीलांट द्वारा राजस्व न्यायालय में 2011 मे नियमित वाद पेश करने के उपरान्त आवंटी को खातेदारी मिलने के पश्चात नियम 14(4) भू–आवंटन की कार्यवाही पेश करने का 37 वर्ष पश्चात कोई विधिक हक अधिकार नहीं होन से प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।
6. आवंटित आराजी के समीप की आराजी का अपीलांट वक्त आवंटन न तो खातेदार कृषक था, न ही काबिज था। आवंटित आराजी के समीप की आराजी अपीलांट ने 1985 में क्रय की है। इस कारण प्रार्थी अपीलांट द्वारा पेश प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्तनीय है।`

हमने बहस प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अभिभाषक की उभयपक्ष सुनी व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1976 से अप्रार्थी क्रम 1 रामकरण पुत्र कंवरलाल बैरवा निवासी कराडिया गुल्जी तहसील अटरू जिला बारां को भूमि आवंटन की गई। उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन शुदा आराजी पर कोई दखल व कब्जा नही दिया गया है ना ही आवंटन के बाद से आज दिन तक एलोटी अप्रार्थी क्रम 1 का उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर निरन्तर बिना रोक टोक के सन् 1985 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी उक्त आराजी पर प्रतिवर्ष फसल बोता एवं काटता चला आ रहा है। सन् 1985 से पूर्व उक्त आराजी पर प्रभू पुत्र धूल्या चमार का कब्जा था तथा प्रार्थी ने उक्त प्रभू पुत्र धूल्या से उक्त आराजी उसकी आराजी से लगवा होने से खरीद की थी। इस प्रकार वक्त आवंटन उक्त आराजी खाली भूमि नही थी। इस कारण उक्त आवंटन काबिल खारजा है।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे अप्रार्थी को वक्त आवंटन भूमि या गैर खातेदारी अधिकार मिलने से पूर्व का उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने बाबत इस न्यायालय मे किसी भी प्रकार के दस्तावेज आदि प्रस्तुत नही किये जाने के कारण, अप्रार्थी को किये गये आवंटन आदेश मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय में अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र न्यायालय की विधिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की श्रेणी में सम्मिलित होने के कारण एवं शहादत/प्रमाण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण खारिज किया जाता है। अप्रार्थी क्रम–1 रामकरण पुत्र कंवरलाल बैरवा निवासी कराडिया गुल्जी तहसील अटरू जिला बारां को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1976 यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थी असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.08.16 12:55:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: